न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

अपील संख्या –111/2021
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021/165

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मैसर्स रणवां कंस्ट्रक्शन कम्पनी मालिक श्री मुकना राम पुत्र श्री अर्जुन राम निवासी खरडपुरा, वार्ड न. 07, राजलियाँ तहसील–नावां जिला–नागौर (राज.) पिन–341508 कार्यालय पता :– c/o जय किसान कृषि यंत्र लघु उद्योग , नावां रोड, सुरेरा, सीकर (राज.)पिन–332703		राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड नागौर,कार्यालय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम नागौर/उपापन समिति, पता–विनायक कॉलोनी,रेलवे स्टेशन के पीछे,नागौर

निर्णय दिनांक 03-12-2021

1–अपीलान्ट द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 38 के तहत P.D.S. परिवहन की निविदा के संबंध में नागौर जिले की उपापन समिति के निर्णय दिनांक 06–10–2021 जो ऑनलाईन पोर्टल पर दिनांक 20.10.21 अपलोड किया गया, के विरूद्ध यह अपील दिनांक 26.10.2021 को प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2–अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट श्री भूराराम बिकुनिया ने बहस में कथन किया कि अपीलकर्ता की रणवां कंस्ट्रक्शन कम्पनी नामक एक प्रोपराईटरशिप फर्म है जो विधिवत पंजीकृत है। श्री मुकना राम पुत्र श्री अर्जुन राम फर्म के मालिक है और व्यवसाय चलाते है जिसका पता c/o जय किसान कृषि यंत्र लघु उद्योग, नावां रोड, सुरेरा,सीकर (राज.) है, जिसके जी.एस.टी. पंजीकरण की प्रति अपील के संलग्न प्रस्तुत है।

2(1)–दिनांक 06.09.2021 को राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर ने नागौर जिले में निगम द्वारा निर्दिष्ट गंतव्य पर पीडीएस के तहत खाद्यान्न और चीनी के परिवहन के संबंध में ई–बोली सूचना जारी की है। उक्त निविदा प्रक्रिया को तकनीकी बोली के साथ–साथ वित्तीय बोली के रुप में दो चरणों में पूरा किया जाना था। पूर्वोक्त ई–बोली जारी करते समय, निगम ने उक्त निविदा प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों और शर्तो को भी विज्ञापित और लगाया है और एनआईटी के नियमों और शर्तों के अनुसार, बोली ई–प्रोक में ऑनलाइन जमा की जाएगी।

2(3)–उपरोक्त एनआईटी के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उपरोक्त एनआईटी जारी करते समय, निगम ने निविदा प्रक्रिया के अन्य नियमों और शर्तों के साथ कुछ नियमों और शर्तो का उल्लेख किया है। अपीलकर्ता फर्म ने उक्त ई–बोली के लिए पात्र होने के कारण जिला नागौर के लिए वित्तीय बोली के रूप में तकनीकी बोली जमा करते समय आवेदन किया और निविदा की उपरोक्त बोली प्रक्रिया के अनुसरण में, अपीलकर्ता फर्म ने उपरोक्त के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए सभी आवश्यक और प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किए हैं। बोली प्रक्रिया और राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को सरकार के https://eproc-rajsthan-gov-in के माध्यम से जमा की गई तथा अपीलकर्ता ने आवश्यक शुल्क के साथ–साथ बोली प्रपत्र शुल्क के रुप में 5000/- और प्रसंस्करण के रुप में 1000/- के रूप में जमा की है। दोली दस्तावेजों के साथ विड सिक्योरिटी के संबंध में शपथ पत्र भी संलग्न किया गया था।

2(4)–अपीलकर्ता फर्म की उक्त तकनीकी बोली के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलकर्ता फर्म ने हस्ताक्षर करते समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ तकनीकी बोली अपलोड की है। नागौर जिले के पीडीएस के तहत खाद्यान्न ... के लिए परिवहन कार्य के लिए निविदा आमंत्रित उपरोक्त नोटिस के अनुसरण में कुल ... बोलीदाताओं ने बोली प्रक्रिया में भाग लिया है।

2(5)–अपीलकर्ता फर्म ने उक्त निविदा के अनुसरण में आवेदन किया है और सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर जमा कर दिए हैं। तकनीकी बोली ... सभी बोलीदाताओं की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम/उपापन समिति द्वारा आवश्यक पात्रता मानदंड के अनुसार ...10.2021 को तैयार किया गया था और ई–प्रोक पर दिनांक 20.10.2021 को अपलोड किया गया था। जिला उपापन समिति ने कुछ छोटी–छोटी आपत्तियों के साथ हमारी बोली को अस्वीकार करने के संबंध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:59:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

सूचना जारी की, जिसे निगम उपापन समिति द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार हल किया जा सकता है। अपीलकर्ता फर्म के संबंध में निम्नलिखित तकनीकी कारणों का उल्लेख किया गया है–

OBJECTIONS BY CORPORATION / PROCUREMENTOUR COMMITTEE	OUR REPLY
वाहन संख्या RJ37GA9386 के इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के स्थान पर RJNEW4536 NO से पॉलिसी जारी की गई है जिसे राजस्थान परिवहन विभाग, के MPariwahan App पर ऑनलाइन सर्च किया गया एवं वाहन की पोलिसी न.इंजिन न.व चेसिस न. RJ37GA9386 से मिलान होना पाया गया, परन्तु फर्म द्वारा गाड़ी संख्या RJ37GA9386 का फिटनेस सर्टिफिकेट सलंग्न नहीं किया गया है जो कि निविदा की सामान्य शर्तो के बिन्दु संख्या 1(iv) का उल्लंघन होने के कारण फर्म तकनीकी रूप से अस्वीकार्य है।	वाहन संख्या RJ37GA9386 का रजिस्ट्रेशन जिला परिवहन अधिकारी डीडवाना द्वारा दिनांक 06.01.2021 को किया गया। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के संशोधन नियम 62, उपनियम (1) के अनुसार वाहन के लिए पंजीकरण के समय किसी फिटनेस की आवश्यकता नहीं होगी तथा उस वाहन को पंजीकरण की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए फिटनेस प्रमाण युक्त समझा जायेगा। अतः यह उपापन समिति द्वारा लगाई गयी आपत्ति निराधार है।
निविदा शर्तो के बिन्दु संख्या 1(VIII) एवं बिड. की विशेष शर्तो एवं निर्देशों के बिन्दु संख्या 9(ब) के अनुसार राशि रूपये 50 लाख का हैसियत संबंधित प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है।	हमारी फर्म के पास में दो हैसियत प्रमाण पत्र उपलब्ध थे। 50 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र पंजाब नेशनल बैंक का तथा 92.36 लाख का चार्टेड अकाउंटेंट का हैसियत प्रमाण पत्र था। फर्म ने चार्टेड अकाउंटेंट का हैसियत प्रमाण पत्र दस्तावेजों के साथ अपलोड किया क्योंकि इसकी हैसियत ज्यादा थी। पंजाब नेशनल बैंक के हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति अपील के साथ सलंग्न है। दिनांक 06–10–2021 को फर्म ने पंजाब नेशनल बैंक का हैसियत प्रमाण पत्र खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम नागौर को ई–मेल के द्वारा भिजवा दिया था।

2(6)–श्री सुरेंद्र कुमार अग्रवाल और भास्कर इंडस्ट्रीज की मालिक मीना देवी के परिचय पत्र (Identity card) में एक ही मोबाइल नंबर 9414082094 है और मीना देवी का सम्बन्ध बाल गोविंद इंडस्ट्रीज (आटा मिल) से है जिसका मोबाइल नंबर भी यही है भास्कर इंडस्ट्रीज की तकनीकी और वित्तीय बोली में FIT घोषित करनेसे पहले उपापन समिति द्वारा इनकी जांच नहीं की गई।

2(7)–पूरी बोली प्रक्रिया जिसमें निगम/उपापन समिति ने बहुत ही मनमानी, भेदभावपूर्ण और अवैध तरीके से काम किया है, ताकि मनचाहे लोगो को लाभ देनेके लिए भास्कर इंडस्ट्रीज झुंझुनूं को नियुक्त किया।

2(8)–चैक लिस्ट के अनुसार हमारे अधिकांश दस्तावेज पूरे हो गए थे लेकिन कुछ मामूली आपत्ति के कारण हमारा आवेदन खारिज कर दिया और केवल भास्कर इंडस्ट्रीज झुंझुनूं को दूसरी बार FIT घोषित किया गया। इसके पास आटा मिल हैं, जिसका नाम बाल गोविंद इंडस्ट्रीज झुंझुनू, जिसके दस्तावेज जीएसटी नंबर 08AKMPD0574A1ZK के साथ विधिवत ANNEXURE-IV के रूप में संलग्न है। बाल गोविंद इंडस्ट्रीज झुंझुनू और भास्कर इंडस्ट्रीज झुंझुनू के मालिक सुरेंद्र कुमार अग्रवाल और मीना देवी है। [illegible] पत्र के अनुसार भास्कर इंडस्ट्रीज झुंझुनू बेसन, आटा, मसाले, बड़ी और पापड़ के [illegible]। ट्रेड मार्क के पंजीकरण का प्रमाण पत्र, धारा, 23(2), नियम 62(1) संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:59:52 IST
Reason: SelfAttested

2(9)–उपापन समिति द्वारा दस्तावेजों की जांच करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि तकनीकी बोली मूल्यांकन पत्रक के क्रम 20 के अनुसार बोलीदाता और [illegible] की मालिक और अन्य खाद्यान व्यवसाय व आटा के व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहिए [illegible] बल्कि भास्कर इंडस्ट्रीज झुंझुनूं ने उपरोक्त के संबंध में गलत शपथ पत्र दिया है। हमारी फर्म ने खाद्य निगम कार्यालय नागौर को अवगत करा दिया

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

है लेकिन उनके द्वारा कोई पूछताछ नहीं कीगई। भास्कर इंडस्ट्रीज द्वारा दिए गए शपथ पत्र की एक प्रति संलग्न है।

2(10)—मैसर्स भास्कर इंडस्ट्रीज झुंझुनूं प्रोपराईटर श्रीमती मीना देवी, मैसर्स मारुति इंडस्ट्रीज झुंझुनूं प्रोपराईटर सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल के परिचय पत्र और बाल गोविंद इंडस्ट्रीज झुंझुनूं के कांटेक्ट पर्सन के मोबाइल नंबर 9414082094 एक ही हैं। इससे पता चलता है कि मैसर्स भास्कर इंडस्ट्रीज झुंझुनूं मारुति इंडस्ट्रीज झुंझुनूं और बाल गोविंद इंडस्ट्रीज झुंझुनूं श्री सुरेंद्र कुमार अग्रवाल और उनकी पत्नी श्रीमती मीना देवी द्वारा संचालित किये जा रहे है और फूड कॉर्पोरेशन, उपापन समिति को पी.डी.एस. परिवहन के टेंडर के लिए धोखा दे रहे हैं। पिछले दो वर्षो से भास्कर इंडस्ट्रीज को FIT घोषित करके टेंडर आवंटित किया जा रहा हैं।

2(11)—मैसर्स भास्कर इंडस्ट्रीज और बाल गोविंद इंडस्ट्रीज झुंझुनूं के जीएसटी विवरण में HSN कोड 11010000 है जिसका संबंध आटा मिल और मेसलिन फ्लोर से है, इससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि मैसर्स बाल गोविंद इंडस्ट्रीज और मैसर्स भास्कर इंडस्ट्रीज दोनों आटा व्यवसाय में शामिल हैं जो नियम और शर्तों के विपरीत है। दोनों फर्म नियमित जीएसटी दाखिल कर रही हैं, का कथन करते हुए (1) मैसर्स भास्कर इंडस्ट्रीज जिसे वित्तीय बोली में भाग लेने के लिए FIT घोषित किया गया है उन्हें निविदा प्रक्रिया से वंचित किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने आटा मिल के संबंध में गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो राजस्थान खाद्य और नागरिक आपूर्ति द्वारा नियम और शर्तो के पैरा 57 के विपरीत है। (ii) भास्कर इंडस्ट्रीज को लगातार निविदा आवंटन और अन्य फर्मों को अस्वीकार करने के संबंध में उचित जांच की जानी चाहिए। (iii) रणवा कंस्ट्रक्शन कंपनी के सभी दस्तावेज सही हैं लेकिन जानबूझकर केवल भास्कर इंडस्ट्रीज को FIT घोषित किया है जो कि अन्य फर्मों के साथ अन्याय है। (iv) हमारी फर्म की दर भास्कर इंडस्ट्रीज से कम हैं, इसलिए नागौर जिले के पी.डी.एस.परिवहन का टेंडर हमे दिया जाये। (v) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 40 के अनुसार तकनीकी बोली 06 अक्टूबर 2021 को खोली गई थी और 20 अक्टूबर 2021 को EPROC पर अपलोड किया गया जो नियमों के विपरीत है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को न्याय दिलवाने का निवेदन किया है।

3—रेस्पोडेन्ट स्वंय श्री सुनील शर्मा प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति नागौर द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जबाव में किये गये कथनों को हूबहू दौहराते हुए कथन किया कि राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम, जयपुर के ई–निविदा क्रमांक 8631 दिनांक 06.09.2021 UBN No- FCS2122SLOB00027 द्वारा जारी कर ई–निविदा प्रकाशन से दर निर्धारण एवं परिवहनकर्ता की सेवाएं उपापन करने तक की सम्पूर्ण कार्यवाही जिला उपापन समिति द्वारा पूर्ण की जानी थी।

3(1)—राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013 के नियम 3 के तहत् जिला उपापन समिति का गठन किया गया जिसमें जिला रसद अधिकारी, नागौर अध्यक्ष, प्रबन्धक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, नागौर सचिव, सहायक लेखाधिकारी–II सदस्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, नागौर है।

3(2)—जिला उपापन समिति द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013 में ई–निविदा से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यवाही की गई। 12 जिलों में 06.09.2021 को खाद्यान्न / चीनी परिवहनकर्ता नियुक्ति केलिए ई–निविदा आमन्त्रित की गई है एवं निविदा को ऑनलाईन ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दो स्तरीय पद्धति यथा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पद्धति द्वारा पूर्ण किए जाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा विज्ञापन दिया गया। उक्त विज्ञप्ति से सम्बन्धित समस्त शर्तों का निर्धारण राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा ही किया गया है।

3(3)—प्रार्थी फर्म द्वारा बिड फॉर्मडिक्लेरेशन फॉर्म तो प्रस्तुत किया गया परन्तु ई–निविदा हेतु आवश्यक दस्तावेज शूल्क 5000 / – एवं टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क 1000 / – एवं बिड सिक्योरिटी अपलोड करते समय खाद्यान्न परिवहन में उप[illegible] वाले वाहन का तकनीकी योग्यता हेतु निर्धारित फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कि[illegible] एवं [illegible] लाख रूपये का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित हैसियत प्रमाण–पत्र प्र[illegible] नहीं किया जिसका [illegible] निम्नानुसार है:–

1. प्रार्थी फर्म द्वारा ई–निविदा में अपलोड किए [illegible] योग्य वांछित दस्तावेज यथा न्यूनतम राशि रू. 50.00 लाख का [illegible] विशेष शर्तो एवं निर्देशों के अनुसार सक्षम अधिकारी (कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / [illegible]यक कलक्टर / तहसीलदार अथवा बैंक) द्वारा जारी हो, ऑनलाईन निविदा में अपलोड किया जाना था जबकि प्रार्थी फर्म द्वारा उक्त निर्धारित सक्षम अधिकारी के अतिरिक्त सनदि लेखाकार द्वारा जारी राशि रूपये 92.36 लाख

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 15:59:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

का सर्टिफिकेट ऑनलाईन अपलोड किया गया। अतः प्रार्थी फर्म द्वारा निविदा शर्तो के बिन्दु सं. 1 (VIII) एवं बिड की विशेष शर्तों एवं निर्देशों के बिन्दु सख्या 41 (9) (ब) के अनुसार राशि रूपये 50 लाख का हैसियत सम्बन्धि प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार RTPP Act2012, RTPP Rules 2013 के Rule 59 (2) (a) "Deviation" is a departure from the requirements specified in the bidding documents के अनुसार बिड प्रत्युत्तरदायिता का अवधारण नहीं करती है एवं RTPP Act 2012, RTPP Rules 2013 के Rule 59 (2) (c) "Omission" is thefailure to submit part or all of the information or documentation required in the bidding documents के अनुसार बिड प्रत्युत्तरदायिता का अवधारण नहीं करती है। जिसे जिला उपापन समिति ने तकनीकी मूल्यांकन में अमान्य करार करते हुए फर्म को तकनीकी रूप से अयोग्य ठहराया।

2. प्रार्थी फर्म द्वारा वाहन संख्या RJ37GA9386 के इंश्यारेस सर्टिफिकेट के स्थान RJNEW4536 No- से पॉलिसी जारी की गई है। जिसे राजस्थान परिवहन विभाग, के MPariwahan App पर ऑनलाईन सर्च किया गया एवं वाहन की पॉलिसी नं.,इंजिन नं. व चेसिस नं. RJ37GA9386 से मिलान होना पाया गया। परन्तु फर्म द्वारा गाडी संख्या RJ37GA9386 का फिटनेस सर्टिफिकेट संलग्न नहीं किया गया है जो कि निविदा की सामान्य शर्तो के बिन्दू संख्या 1(iv) का उल्लंघन होने के कारण फर्म तकनीकी रूप से अस्वीकार्य है। इस प्रकार RTPP Act 2012, RTPP Rules 2013 के Rule 59 (2) (ब) "Omission" is the failure to submit part or all of theinformation or documentation required in the bidding documents अनुसार बिड प्रत्युत्तरदायिता का अवधारण नहीं करती है। जिसे जिला उपापन समिति ने तकनीकी मूल्यांकन में अमान्य करार करते हुए फर्म को तकनीकी रूप से अयोग्य ठहराया।

3(4)—ई–निविदा की शर्तो एंव RTPP एक्ट 2012 के अनुसार निविदा में निर्धारित समस्त शर्तो की पालना करना बिड में भाग लेने वाले बिडदाता फर्मो का उत्तरदायित्व होता है। ई–निविदा में कुल पांच निविदादाता द्वारा भाग लिया गया था जिसमें अपीलार्थी फर्म द्वारा ई–निविदा की निर्धारित समस्त शर्तो की पालना नहीं किए जाने के कारण जिला उपापन समिति द्वारा तकनिकी रूप से असफल घोषित किया गया है।

3(5)—ई–निविदा में 4 फर्मो का तकनीकी मूल्यांकन कर जिला उपापन 1 समिति ने दिनांक 6.10. 2021 को मूल्यांकन पश्चात् मूल्यांकन प्रपत्र को E-procPortal पर दिनांक 20.10.2021 को अपलोड कर दिया। प्रार्थी फर्म द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि निविदा दस्तावेजों को अपलोड करने में अपीलार्थी फर्म द्वारा कई कमियां रखी गई है। जिला उपापन समिति ने अपीलार्थी फर्म द्वारा ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच उपरान्त वांछित दस्तावेजों की कमी होना एवं निर्धारित शर्तो के अनुसार नहीं होने के कारण फर्म को RTPP Act 2012, RTPP Rules 2013 के प्रावधान के अनुरूप जिला उपापन समिति द्वारा तकनिकी रूप से अयोग्य करार दिया। फर्म द्वारा अपील के बिन्दु संख्या 3 (अ) में दर्शाए गए आक्षेप जिला उपापन समिति द्वारा लगाए गए है परन्तु जिला उपापन समिति द्वारा लगाए गए उक्त आक्षेपों के विपरीत फर्म द्वारा दिए प्रत्युत्तर सही नहीं है एवं स्वीकार्य नहीं है जिनके कारण निम्नानुसार है:—

आक्षेप 1— निविदा की शर्त के अनुसार खाद्यान्न परिवहन हेतु लगाए जाने वाले वाहन से सम्बन्धित तीन दस्तावेज यथा वाहन की RC, वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट एवं वाहन का इन्श्योरेन्स सर्टिफिकेट चाहे गए थे परन्तु अपीलार्थी फर्मद्वारा ई–निविदा में वाहन संख्या RJ37GA9386 से सम्बन्धित मात्र RC एवं इंश्योरेंस के दस्तावेज ही लगाए गए एवं वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट ई–निविदा हेतु पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। चूंकि निविदा की शर्तो के अनुसार वाहन नया हो अथवा पुराना उक्त तीनो दस्तावेज अनिवार्य/वांछनीय थे। प्रार्थी फर्म द्वारा वाहन संख्या RJ37GA9386 नया है अथवा पुराना जिसकी सूचना ई–पोर्टल पर अपलोड नहीं की एव ना ही नए वाहन [illegible] वर्ष की फिटनेस सर्टिफिकेट की छुट के सम्बन्ध में केन्द्रीय मोटर वाहन नियम [illegible] नियम 62 उपनियम 1 की प्रति को ई–पोर्टल पर निविदा [illegible] समय अपलोड नहीं किया। अतः RTPP Act2012, RTPP Rules 2013 के Rule 59 (2) (a) "Deviation" is a departure from the requirements specified in the bidding documents के अनुसार [illegible] प्रत्युत्तरदायिता का अवधारण नहीं करती है एवं RTPP Act 2012, RTPP Rules2013 के Rule 59 (2) (c) "Omission" is the failure tosubmit part or all of the information or documentation required in thebidding

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:59:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

documents के अनुसार बिड प्रत्युत्तरदायिता का अवधारण नहीं करने से तकनीकी रूप से फर्म को अयोग्य माना।

आक्षेप–2 आक्षेप अपीलार्थी फर्म का प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है। निविदादाता फर्मों से मात्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत के प्रमाण–पत्र ही निर्धारित समय पूर्व ई–निविदा में अपलोड किए जाने थे जिसे फर्म ने बाद में ई–मेल द्वारा एवं डाक द्वारा प्रेषित किया जो कि स्वीकार किया जाना विधि सम्मत नहीं था। RTPP Act 2012, RTPP Rules 2013 के Rule52 "विलम्ब से प्राप्त बोलियां में प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिए नियम समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई है एवं कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए अंतिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलंब से प्राप्त" के रूप में चिन्हित् और घोषित किया जाएगा" अतः नियम 52 के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित ई–निविदा में डाक द्वारा निविदा अवधि के पश्चात प्राप्त दस्तावेजों को टेण्डर दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा एवं RTPP Act 2012, RTPP Rules 2013 के Rule 53 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार ई–निविदा के मामले में, अर्थात इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से प्रस्तुत बोली प्रस्तावों के मामले में, इन्हें राज्य लोक उपापन पोर्टल पर दर्शायी गयी प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा। अतः फर्म द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात डाक द्वारा बैंक द्वारा जारी हैसियत प्रमाण–पत्र जिला उपापन समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उक्त दस्तावेज को जिला उपापन समिति ने नियमानुसार इसलिए भी स्वीकार नहीं किया क्यों कि निविदा अवधि के पश्चात सारवान हित रखने वाले एवं निविदा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले ऑफलाईन दस्तावेज को स्वीकार करने पर प्रतियोगिता प्रभावित हो रही थी। अतः जिला उपापन समिति ने वांछित दस्तावेज को ई–निविदा में अपलोड नहीं करने एवं देरी से ऑफलाईन डाक / ई–मेल द्वारा प्राप्त हैसियत प्रमाण पत्र पर विचार न करते हुए RTPP एक्ट 2012 एवं निविदा की शर्तों के अन्तर्गत फर्म को तकनीकी रूप से अयोग्य माना एवं फर्म को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर डाक द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रों को अस्वीकार किए जाने हेतु सूचित किया गया। अतः उक्त आक्षेप स्वीकार्य नहीं है।

3(6)–मीना देवी भास्कर इण्डस्ट्रीज की प्रोपराईटर है एवं श्रीसुरेन्द्र कुमार अग्रवाल उनके पति होना दस्तावेज से स्पष्ट है। दोनों फर्मों में उपयोग आ रहे मोबाईल नं. 9414082094 का समान होना फर्म को किसी अन्य टेण्डर में भाग लेने से की अर्हता को प्रभावित नहीं करता है। RTPP Act 2012, RTPP Rules 2013 के प्रावधान के अनुरूप जिला उपापन समिति द्वारा किसी प्रावधान का उल्लंघन होना नहीं पाया गया। अतः उक्त फर्म भास्कर इण्डस्ट्रीज के मोबाईल नं. अन्य फर्म से मिलने के कारण तकनीकी रूप से अयोग्यता का निर्वहन नहीं होना पाया गया।

3(7)–अपीलार्थी फर्म द्वारा निगम / जिला उपापन समिति को सम्पूर्ण ई–निविदा प्रक्रिया में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013 के तहत् एवं राजस्थान ई–निविदा की शर्तों के अनुसार ही कार्यवाही की गई है।

3(8)–जिला उपापन समिति द्वारा निविदा में प्राप्त सभी बिड का तकनिकी मुल्यांकन RTPP Act 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत निविदा शर्तों एवं चैक लिस्ट के अनुरूप किया गया है तथा अपीलार्थी फर्म द्वारा स्वीकार भी किया गया है कि मामूली आपत्ति के आधार पर निविदा स्वीकार नहीं की गयी है। भास्कर इण्डस्ट्रीज को द्वितीय बार योग्य करार दिया जाना एक्ट के विरूद्ध नहीं है। अपीलार्थी फर्म द्वारा Annexure-IV में प्रस्तुत दस्तावेज में जीएसटी नं. 08AKMPD0574A1ZK फर्म बाल गोविन्द इण्डस्ट्रीज, झुन्झुनू के है जिसकी प्रोपराईटर मोहनी देवी है उक्त फर्म द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया है तथा जिला उपापन समिति द्वारा निविदा का तकनिकी विश्लेषण ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्रों के आधार पर किया गया है। अपीलार्थी फर्म द्वारा प्रस्तुत व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि दिनांक 24.01.2013 को रजिस्टर्ड हुआ है। अपीलार्थी फर्म द्वारा [illegible] प्रस्तुत किया है। परन्तु वर्तमान में व्यापार अथवा क्रय / विक्रय किए जाने का को[illegible] [illegible]तुत नहीं किया है। निविदा की शर्त के अनुरूप बिडर द्वारा प्रस्तुत शप[illegible] के अनुसार [illegible] का स्वामित्व नहीं रखता है एवं आटा विक्रय सम्बन्धी व्यापार नहीं कर[illegible] का प्रमाण–पत्र प्रस्[illegible]। इस सम्बन्ध में फर्म द्वारा इस आशय का शपथ पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत किया है।

3(9)–फर्म भास्कर इण्डस्ट्रीज झुंझुनू द्वारा ई–निविदा [illegible] आटा मिल एवं आटे का व्यापार नहीं होने से सम्बन्धित शपथ पत्र निविदा शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। उपापन समिति द्वारा आन्तरित जांच करने पर पाया गया कि अपीलार्थी फर्म द्वारा बाल गोविन्द इण्डस्ट्रीज को आटा मिल होना अवगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:59:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

कराया एवं उक्त फर्म द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया है जिसके मालिकाना हक श्रीमति मोहनी देवी के पास है। सम्बन्धित द्वारा इस आशय का प्रमाण भी उपलब्ध कराया है कि उक्त आटा मिल का भारी (HT) विद्युत कनेक्शन 01.09.2020 से ही विच्छेद किया गया है। वर्तमान निविदा वर्ष 2021–22 हेतु जारी की गई है। भास्कर इण्डस्ट्रीज झुंझुनू की प्रोपराईटर श्रीमती मीना देवी है। उनके द्वारा साक्ष्य के तौर पर फर्म की जीएसटी रिर्टन उपापन समिति को उपलब्ध कराई गई है। जिसमें स्पष्ट है कि रिटर्न जीएसटी छूट (exempted) श्रेणी में है तथा आटा का व्यापार हेतु जीएसटी देय है। इस सम्बन्ध में भास्कर इण्डस्ट्रीज झुंझुनू के कर सलाहकार द्वारा लिखित में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। अतः अपीलार्थी फर्म का आक्षेप निराधार एवं तथ्यहीन है।

3(10)—मोबाईल नं. समान होना, उपापन समिति द्वारा निविदा की शर्तो अथवा RTPP Act 2012 एवं Rule 2013 के उपबन्धों, धारा का उल्लघंन होना नहीं पाया तथा फर्मो द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार दोनों फर्मो यथा भास्कर इण्डस्ट्रीज, झुन्झुनु एवं मारूति इण्डस्ट्रीज, झुन्झुनु के प्रोपराईटर क्रमशः श्रीमती मीना देवी एवं श्री सुरेन्द्र अग्रवाल है एवं पति–पत्नी होना प्रमाणित है। अन्य उल्लेखित फर्म बाल गोविन्द इण्डस्ट्रीज, झुन्झुनु द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया है।

3(11)—उपापन समिति द्वारा पाया गया कि तीनों फर्म अलग–अलग प्रोपराईटर द्वारा संचालित है। तीनों के जीएसटी रिटर्न अलग–अलग भरे जा रहे है। तीनों फर्म एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा संचालित की जा रही है। जिला उपापन समिति द्वारा निविदा का निर्धारण पुर्णतः निष्पक्ष RTPP एक्ट 2012 के अनुरूप किया गया है।

3(12)—निविदा में भास्कर इण्डस्ट्रीज द्वारा भाग लिया गया है। जिसकी प्रोपराईटर श्रीमति मीना देवी है तथा बाल गोविन्द इण्डस्ट्रीज द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया है। अपीलार्थी द्वारा जीएसटी के विवरण में एचएसएन कोड 11010000 को आटा मील एवं आटा से सम्बन्धित अवगत कराया है तथा कोई साक्ष्य आटा व्यापार का प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में सनदि लेखाकार (CA) द्वारा अवगत कराया गया कि वही फर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय सम्भावित व्यापार हेतु कई HSN कोड का उल्लेख कर सकती है जो कि GST विवरण में प्रदर्शित होता है। परन्तु उक्त कोड से सम्बन्धित व्यापार का सत्यापन क्रय/विक्रय अथवा सम्बन्धित बिल इत्यादि से ही किया जा सकता है। उपापन समिति द्वारा भी आंतरिक जांच में भास्कर इण्डस्ट्रीज झुंझुनू द्वारा GST रिटर्न की प्रति उपलब्ध कराई है। जिससे स्पष्ट है कि उनकी रिटर्न (exempted) श्रेणी में है। जबकि आटे के विक्रय हेतु GST प्रभारित होती है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर भास्कर इण्डस्ट्रीज झुंझुनूं द्वारा आटा मिल होना अथवा आटे के व्यापार में वर्तमान में सम्बन्ध होना जिला उपापन समिति द्वारा नहीं पाया गया।

3(12)—इस प्रकार जिला उपापन समिति द्वारा ई–निविदा प्रक्रिया में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013 के तहत् ई–निविदा की शर्तो एवं चैक लिस्ट में निर्धारित बिन्दुओं के आधार पर फर्म द्वारा प्रस्तुत ई–निविदा का तकनिकी मूल्यांकन पूर्ण पारदर्शिता से किया गया है। तकनिकी मूल्यांकन में पाई गई कमियों के कारण RTPP Act 2012, RTPP Rules 2013 के Rule 59 (2) (a) एवं 59 (2)(c) के तहत् अपीलार्थी फर्म द्वारा उत्तरदायिता का अवधारण नहीं किया जा सका। अतः जिला उपापन समिति द्वारा अपीलार्थी फर्म को पूर्ण रूप से राजकीय हित में तकनिकी रूप से असफल घोषित किया गया। जिला उपापन समिति द्वारा ई–निविदा की तकनिकी मूल्यांकन में निविदा की शर्तो एवं चैक लिस्ट के अनुसार फर्म द्वारा जो दस्तावेज अपलोड किये उनमें तकनिकी कमियाँ होने से फर्म लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013 में उत्तरदायी नहीं पाने से अयोग्य घोषित की गयी। मैसर्स रणवा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की ई–निविदा में पाई गई तकनिकी कमियाँ दूरस्त योग्य नहीं होने से फर्म को जिला उपापन समिति द्वारा तकनिकी रूप से अयोग्य घोषित किया गया।

3(13)—जिला उपापन समिति द्वारा ई–निविदा प्रक्रिया में सम्पूर्ण कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013 के तहत पूर्ण पारदर्शिता बरती गई है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा [illegible] 2013 के 59 (2)(a), 59 (2) (c) एवं नियम 52 के तहत् जिला उपापन समिति द्वारा नियमों के तहत फर्म रणवा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के तकनिकी रूप से असफल घोषित कर [illegible] से सूचित किया गया। मैसर्स रणवा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा ई–निविदा में वांछित एवं निर्धारित [illegible] करने एवं विलंब से डाक द्वारा प्रेषित दस्तावेजों को जिला उपापन समिति द्वारा [illegible]कार किए जाने के कारण उक्त तकनिकी मूल्यांकन में पाई गई कमियों का उच्चतर प्राधिकार समिति से अनुमोदन पश्चात ही पूर्ण पारदर्शिता के साथ निर्णय लिया जाकर फर्म को तकनिकी रूप से असफल घोषित किया गया एवं एकल पात्र फर्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 15:59:52 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

मैसर्स भास्कर इण्डस्ट्रीज के विरूद्ध अपीलार्थी फर्म द्वारा लगाए गए आरोप एवं अपील में प्रस्तुत तथ्य गलत एवं अस्वीकार होने के कारण मैसर्स भास्कर इण्डस्ट्रीज को तकनीकी रूप से पात्र घोषित करने का कथन करते हुए अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया है।

4–उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम, जयपुर द्वारा जारी ई–निविदा क्रमांक 8631 दिनांक 06.09.2021 UBN No-FCS2122SLOB00027 के अनुसरण में जिला उपापन समिति द्वारा ई–निविदा प्रकाशन से दर निर्धारण एवं परिवहनकर्ता की सेवाएं उपापन करने तक की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण की जानी थी।

4(1)–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013 के नियम 3 के तहत् विधिवत जिला उपापन समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013 में ई–निविदा से सम्बन्धित कार्यवाही की गई। निविदा को ऑनलाईन ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दो स्तरीय पद्धति यथा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पद्धति द्वारा पूर्ण किए जाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा विज्ञापन दिया गया। उक्त विज्ञप्ति से सम्बन्धित समस्त शर्तों का निर्धारण राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर के द्वारा ही किया गया है।

4(2)–उक्त ई–निविदा दिनांक 06.09.2021 के तहत अपीलान्ट एवं अन्य फर्मों द्वारा ईप्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर ई–निविदा में भाग लिया एवं संबंधित दस्तावेजात ऑन–लाईन उक्त पोर्टल पर प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेजात का बिड में निर्धारित शर्तों एवं आर.टी.पी.पी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत निर्धारित प्रकिया अनुसार जिला उपापन समिति द्वारा प्रस्तुत ई–निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन दिनांक 06.10.2021 को किया जाकर सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरान्त रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 20.10.2021 को ईप्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर निर्णय अपलोड किया गया।

4(3)–निर्णय दिनांक 06.10.2021 जो दिनांक 20.10.2021 को ईप्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिसके अनुसार अपीलान्ट की फर्म को निम्नानुसार आधारों पर तकनीकी रूप से ई–बीड हेतु अयोग्य करार दिया गया।

1. वाहन संख्या RJ37GA9386 के इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के स्थान पर RJNEW4536 NO से पॉलिसी जारी की गई है जिसे राजस्थान परिवहन विभाग, के MPariwahan App पर ऑनलाइन सर्च किया गया एवं वाहन की पोलिसी न.इंजिन न.व चेसिस न. RJ37GA9386 से मिलान होना पाया गया, परन्तु फर्म द्वारा गाड़ी संख्या RJ37GA9386 का फिटनेस सर्टिफिकेट सलंग्न नहीं किया गया है जो कि निविदा की सामान्य शर्तो के बिन्दु संख्या 1(iv) का उल्लंघन होने के कारण फर्म तकनीकी रूप से अस्वीकार्य है।

अपीलान्ट द्वारा उक्त आक्षेप के संबंध में बहस में कथन किया है कि वाहन संख्या RJ37GA9386 का रजिस्ट्रेशन जिला परिवहन अधिकारी डीडवाना द्वारा दिनांक 06.01.2021 को किया गया। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के संशोधन नियम 62, उपनियम (1) के अनुसार वाहन के लिए पंजीकरण के समय किसी फिटनेस की आवश्यकता नहीं होगी तथा उस वाहन को पंजीकरण की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए फिटनेस प्रमाण युक्त समझा जायेगा। अतः यह उपापन समिति द्वारा लगाई गयी आपत्ति निराधार है।

उक्त संबंध में यह कि, अपीलान्ट द्वारा निविदा की शर्त के अनुसार खाद्यान्न परिवहन हेतु लगाए जाने वाले वाहन से सम्बन्धित फिटनेस सर्टिफिकेट ई–निविदा हेतु पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। निविदा की शर्तों के अनुसार वाहन नया हो अथवा पुराना उक्त वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य था। अपीलान्ट द्वारा संबंधित वाहन नया है अथवा पुराना जिसकी सूचना ई–पोर्टल पर अपलोड नहीं की एव नए वाहन हेतु 2 वर्ष की फिटनेस सर्टिफिकेट की छुट के सम्बन्ध में केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के संशोधन नियम 62, उपनियम 1 की प्रति को ई–पोर्टल पर निविदा प्रस्तुत करते समय अपलोड नहीं किया। RTPP Rules2013 के Rule 59 (2) (c) “Omission” is the failure to submit part or all of the information or documentation required in thebidding documents के अन[illegible] त्युत्तरदायिता का अवधारण नहीं करने से तकनीकी रूप से फर्म को अयोग्य माना है जो [illegible] प्र[illegible] होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:59:52 IST
Reason: SelfAttested

2. निविदा शर्तो के बिन्दु संख्या 1(VIII) एवं [illegible] विशेष शर्तो एवं निर्देशों के बिन्दु संख्या 9(ब) के अनुसार राशि [illegible] प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है।

अपीलान्ट द्वारा उक्त आक्षेप के संबंध में बहस में कथन किया कि हमारी फर्म के पास में दो हैसियत प्रमाण पत्र उपलब्ध थे। 50 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र पंजाब नेशनल बैंक का तथा 92.36 लाख का चार्टेड अकाउंटेंट का हैसियत प्रमाण पत्र था। फर्म ने चार्टेड अकाउंटेंट का हैसियत प्रमाण

कलक्टर, नागौर

पत्र दस्तावेजों के साथ अपलोड किया क्योंकि इसकी हैसियत ज्यादा थी। पंजाब नेशनल बैंक के हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति अपील के साथ सलंग्न है। दिनांक 06–10–2021 को फर्म ने पंजाब नेशनल बैंक का हैसियत प्रमाण पत्र खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम नागौर को ई–मेल के द्वारा भिजवा दिया था।

उक्त संबंध में यह कि, अपीलान्ट द्वारा सनदि लेखाकार (सी.ए.) द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र ऑन लाईन पोर्टल पर अपलोड किया है, जो निविदा की शर्त के अनुसार निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण–पत्र नहीं है। अपीलान्ट का कथन कि दिनांक 06–10–2021 को फर्म ने पंजाब नेशनल बैंक का हैसियत प्रमाण पत्र खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम नागौर को ई–मेल के द्वारा भिजवा दिया था। अपीलान्ट के उक्त कथन के संबंध में उल्लेखनीय है कि ई–निविदा हेतु आन–लाईन पोर्टल पर दस्तावेज आदि अपलोड करने की अंतिम तिथि 29.09.2021 6. 00पी.एम. तक ही थी। RTPP Rules 2013 के Rule52 "विलम्ब से प्राप्त बोलियां में प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिए नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई है एवं कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए अंतिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलंब से प्राप्त" के रूप में चिन्हित् और घोषित किया जाएगा" अतः नियम 52 के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित ई–निविदा में डाक द्वारा निविदा अवधि के पश्चात प्राप्त दस्तावेजों को टेण्डर दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा एवं RTPP Rules 2013 के Rule 53 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार ई–निविदा के मामले में, अर्थात इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से प्रस्तुत बोली प्रस्तावों के मामले में, इन्हें राज्य लोक उपापन पोर्टल पर दर्शायी गयी प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा दिनांक 06.10.2021 को ई–मेल द्वारा प्रेषित हैसियत प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं है। इसलिए रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को उक्त ई–निविदा हेतु अयोग्य माना, जो पूर्णतया उचित प्रतीत होता है।

4(4)—चैक लिस्ट के अनुसार अपीलान्ट के अधिकांश दस्तावेज पूरे हो गए थे लेकिन कुछ मामूली आपत्ति के कारण हमारा आवेदन खारिज कर दिया और केवल भास्कर इंडस्ट्रीज झुंझुनूं को दूसरी बार FIT घोषित किया गया। इसके पास आटा मिल हैं, जिसका नाम बाल गोविंद इंडस्ट्रीज झुंझुनू, जिसके दस्तावेज जीएसटी नंबर 08AKMPD0574A1ZK के साथ विधिवत ANNEXURE-IV के रूप में संलग्न है। बाल गोविंद इंडस्ट्रीज झुंझुनू और भास्कर इंडस्ट्रीज झुंझुनू के मालिक सुरेंद्र कुमार अग्रवाल और मीना देवी है। ट्रेड मार्क के पंजीकरण के प्रमाण पत्र के अनुसार भास्कर इंडस्ट्रीज झुंझुनू बेसन, आटा, मसाले, बड़ी और पापड़ के व्यापारी है । ट्रेड मार्क के पंजीकरण का प्रमाण पत्र, धारा, 23(2), नियम 62(1) संलग्न होने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है। उक्त संबंध में यह कि, भास्कर इण्डस्ट्रीज को द्वितीय बार योग्य करार दिया जाना एक्ट के विरूद्ध नहीं है। अपीलान्ट द्वारा दस्तावेज में जीएसटी नं. 08AKMPD0574A1ZK फर्म बाल गोविन्द इण्डस्ट्रीज, झुन्झुनू के है जिसकी प्रोपराईटर मोहनी देवी है उक्त फर्म द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा निविदा का तकनिकी विश्लेषण ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्रों के आधार पर किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि दिनांक 24.01.2013 को रजिस्टर्ड हुआ है। अपीलार्थी फर्म द्वारा मात्र ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज प्रस्तुत किया है। परन्तु वर्तमान में व्यापार अथवा क्रय/विक्रय किए जाने का कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किया है। निविदा की शर्त के अनुरूप बिडर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार आटा मिल का स्वामित्व नहीं रखता है एवं आटा विक्रय सम्बन्धी व्यापार नहीं करने का प्रमाण–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि उचित है।

4(5)—उपापन समिति द्वारा दस्तावेजों की जांच करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि तकनीकी बोली मूल्यांकन पत्रक के क्रम 20 के अनुसार बोलीदाता आटा मिल का मालिक और अन्य खाद्यान व्यवसाय व आटा के व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहिए है, जबकि भास्कर इंडस्ट्रीज झुंझुनूं ने उपरोक्त के संबंध में गलत शपथ पत्र दिया है। हमारी फर्म ने खाद्य निगम कार्यालय नागौर को अवगत करा दिया है लेकिन उनके द्वारा कोई पूछताछ नहीं कीगई। भास्कर इंडस्ट्रीज द्वारा दिए गए शपथ पत्र की एक प्रति संलग्न होने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है। उक्त संबंध में यह कि फर्म भास्कर इण्डस्ट्रीज झुंझुनू द्वारा ई–निविदा में आटा मिल का अथवा व्यापार नहीं होने से सम्बन्धित शपथ पत्र निविदा शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जाच करने पर पाया कि अपीलान्ट द्वारा बाल गोविन्द इण्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में प्रस्तुत उक्त फर्म द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया है जिसके मालिकाना हक श्रीमती मोहनी देवी के पास है। सम्बन्धित द्वारा इस आशय का प्रमाण भी उपलब्ध कराया है कि उक्त आटा मिल का भारी (HT) विद्युत कनेक्शन 01.09.2020 से ही विच्छेद किया गया है। वर्तमान निविदा वर्ष 2021–22 हेतु जारी की गई है। भास्कर इण्डस्ट्रीज झुंझुनू की प्रोपराईटर श्रीमती मीना देवी है। उनके द्वारा साक्ष्य के तौर पर फर्म की जीएसटी रिर्टन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:59:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

रेस्पोडेन्ट को उपलब्ध कराई गई है। जिसमें स्पष्ट है कि रिटर्न जीएसटी छूट (exempted) श्रेणी में है तथा आटा का व्यापार हेतु जीएसटी देय है। इस सम्बन्ध में भास्कर इण्डस्ट्रीज झुंझूनू के कर सलाहकार द्वारा लिखित में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलान्ट का आक्षेप निराधार एवं तथ्यहीन है।

4(6)—मैसर्स भास्कर इंडस्ट्रीज झूझुनू प्रो0 श्रीमती मीनादेवी, मैसर्स मारूति इंडस्ट्रीज झूंझुनू प्रो0 सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल के परिचय पत्र और बाल गोविन्द इण्डस्ट्रीज झुझुंनू के कांटेक्ट पर्सन के मोबाईल नम्बर 9414082094 एक है इससे पता चलता है कि मैसर्स मारूति इंडस्ट्रीज झूंझुनू, मैसर्स मारूति इंडस्ट्रीज झूंझुनू और बाल गोविन्द इण्डस्ट्रीज झुझुंनू श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल औरउनकी पत्नी श्रीमती मीना देवी द्वारा संचालित किये जा रहे है और फूड कॉर्पोरेशन, उपापन समिति को पी.डी.एस. परिवहन के टेंडर के लिए धोखा देने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है। उक्त संबंध में कि मोबाईल नं. समान होना, रेस्पोडेन्ट द्वारा निविदा की शर्तों अथवा RTPP Act 2012 एवं Rule 2013 के उपबन्धों, धारा का उल्लघंन नहीं है तथा फर्मों द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार दोनों फर्मों यथा भास्कर इण्डस्ट्रीज, झुन्झुनु एवं मारूति इण्डस्ट्रीज, झुन्झुनु के प्रोपराईटर क्रमशः श्रीमती मीना देवी एवं श्री सुरेन्द्र अग्रवाल है एवं पति–पत्नी होना प्रमाणित है। अन्य उल्लेखित फर्म बाल गोविन्द इण्डस्ट्रीज, झुन्झुनु द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा पाया गया कि तीनों फर्म अलग–अलग प्रोपराईटर द्वारा संचालित है। तीनों के जीएसटी रिटर्न अलग–अलग भरे जा रहे है। तीनों फर्मे एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा संचालित की जा रही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा निविदा का निर्धारण पुर्णतः निष्पक्ष RTPP एक्ट 2012 के अनुरूप किया गया है।

4(7)—मैसर्स भास्कर इंडस्ट्रीज और बाल गोविंद इंडस्ट्रीज झुंझुनूं के जीएसटी विवरण में HSN कोड 11010000 है जिसका संबंध आटा मिल और मेसलिन फ्लोर से है, इससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि मैसर्स बाल गोविंद इंडस्ट्रीज और मैसर्स भास्कर इंडस्ट्रीज दोनों आटा व्यवसाय में शामिल हैं जो नियम और शर्तों के विपरीत है। दोनों फर्म नियमित जीएसटी दाखिल कर रही हैं, को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है। उक्त संबंध में यह कि, निविदा में भास्कर इण्डस्ट्रीज द्वारा भाग लिया गया है। जिसकी प्रोपराईटर श्रीमति मीना देवी है तथा बाल गोविन्द इण्डस्ट्रीज द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जीएसटी के विवरण में एचएसएन कोड 11010000 को आटा मील एवं आटा से सम्बन्धित अवगत कराया है तथा कोई ठोस साक्ष्य आटा व्यापार का प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में सनदि लेखाकार (CA) द्वारा अवगत कराया गया कि वहीं फर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय सम्भावित व्यापार हेतु कई HSN कोड का उल्लेख कर सकती है जो कि GST विवरण में प्रदर्शित होता है। परन्तु उक्त कोड से सम्बन्धित व्यापार का सत्यापन क्रय/विक्रय अथवा सम्बन्धित बिल इत्यादि से ही किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा भी आंतरिक जांच में भास्कर इण्डस्ट्रीज झुंझुनू द्वारा GST रिटर्न की प्रति उपलब्ध कराई है, जिससे स्पष्ट है कि उनकी रिटर्न (exempted) श्रेणी में है। जबकि आटे के विक्रय हेतु GST प्रभारित होती है। इसलिए उक्त तथ्यों के आधार पर भास्कर इण्डस्ट्रीज झुंझुनूं आटा मिल होना अथवा आटे के व्यापार में वर्तमान में सम्बन्ध होना नहीं पाया गया। इस प्रकार उपर्युक्तानुसार तथ्यों आदि के आधार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

4(8)—अपीलान्ट द्वारा मैसर्स भास्कर इंडस्ट्रीज को उक्त ई–निविदा से वंचित करने को लेकर वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किये है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा मैसर्स भास्कर इंडस्ट्रीज को उक्त ई–निविदा से वंचित करने को लेकर जिस पर प्रकार से आक्षेप लगाकर बहस में कथन किये है, उन आक्षेपों के संबंध में प्रत्यूत्तर/जबाब/साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने एवं सुनवाई आदि का नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार मैसर्स भास्कर इंडस्ट्रीज को समुचित अवसर भी दिया जाना आवश्यक है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील में मैसर्स भास्कर इंडस्ट्रीज जो कि एक आवश्यक पक्षकार है, को पक्षकार ही नहीं बनाया है, जबकि भास्कर इंडस्ट्रीज हस्तगत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। चूँकि प्रकरण में मैसर्स भास्कर इण्डस्ट्रीज पक्षकार नहीं है, इसलिए मैसर्स भास्कर इण्डस्ट्रीज के संबंध में अपीलान्ट द्वारा लगाये गये आक्षेप स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

5—अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट पक्षकारान को निःशुल्क भिजवाई जावे।

6—निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:59:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर नागौर
कलक्टर, नागौर